2020/00158

लड्डू बनाम भगवान सहाय

अपील संख्या : 2020/00158

09.11.2020	पत्रावली पेश हुई । विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित । एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच के निर्णय आरआरडी 2014 पेज 345 में उद्वरत करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय के द्वारा सीपीसी के आदेश 39 नियम 3(ए) की पालना नहीं की गई है । दिनांक 30.09.2020 को एकपक्षीय स्थगन आदेश देते हुए दिनांक 02.12.2020 की तारीख दी गई है जो कि त्रुटिपूर्ण है । रेस्पोडेन्ट वादी खातेदार कृषक हैं । रेस्पोडेन्ट ने भी एक दावा एवं प्रार्थना पत्र परीक्षण न्यायालय में पेश किया हुआ है जिस पर कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया है । वादग्रस्त आराजी के प्रार्थी खातेदार कृषक नहीं है । विधिक प्रावधानों के विपरीत स्थगन आदेश दे दिया है । अतः अपील अपीलान्ट दर्ज कर अपीलान्ट के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया जावे । हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया । माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय आरआरडी 2014 पेज 345 का अवलोकन किया । चूँकि परीक्षण के द्वारा दिनांक 30.9.2020 को एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया है और उसमें दिनांक 02.12.2020 की तारीख नियत की गई है जो कि 02 माह से अधिक की है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय के द्वारा आदेश 39 नियम 3 (ए) सीपीसी की पालना नहीं की गई है । तद्नुसार माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय आरआरडी 2014 पेज 345 के मध्यनजर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय स्थगन आदेश त्रुटिपूर्ण है एवं अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा में मेन्टेनेबल है । अतः अपील अपीलान्ट एडमिशन की स्टेज पर आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन स्थगन आदेश दिनांक 30.09.2020 निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से स्थगन प्रार्थना पत्र निर्णय पारित करें । अपीलान्ट को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 02.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों । अपील दर्ज दर्ज रजिस्टर की जाकर दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 09.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । 9/11/2020 (भागवंती जेठवानी) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा